न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1597–एक/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 21–5–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ जिला सागर के प्रकरण कमांक 07/अ–6/14–15.

1 बुद्धा तनय शेख मुनीर, फौत वारिसान :–
मजहर उर्फ बाबू तनय बुद्धा
2 शफी बल्द बुद्धा मुसलमान फौत वारिसानः–
1 रउफ, 2 रईस, 3 नबाब 4 लल्लू
सभी पुत्रगण शफी मुसलमान
निवासी वार्ड कमांक 10 राहतगढ़, तह0 राहतगढ़ जिला सागर
3 जहूर बल्द बुद्धा फौत वारिसानः–
मुगीश बल्द जहीर मुसलमान
निवासी वार्ड कमांक 10 राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर
4 नूरमिंया वल्द जब्बार मुसलमान
निवासी वार्ड कमांक 9 राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर
5 सलीम बल्द नन्नू मुसलमान
निवासी वार्ड कमांक 3 राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर
6 चांदमिया
7 प्यारेमिया वल्द शमसुददीन मुसलमान
निवासी वार्ड 10 राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर

.....निगराकारगण

विरूद्ध

1 बाबूखॉ वल्द अब्दुल मजीद खॉन
निवासी वार्ड कमांक 13 राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर
2 कल्लू खॉन वल्द अब्दुल मजीद खॉन
निवासी वार्ड कमांक 10 राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर
3 शौकत बी वल्द अब्दुल मजीद पत्नि बाबू फौत वारिसानः–
1 मो0 अब्बास 2 मो0 इल्यास 3 मुश्तकीम
4 युसुफ 5 इकबाल 6 बारीफ

7 इसराईल 8 आशाबिया 9 भूरी बी
निवासी वार्ड क्रमांक 14 राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर

.....गैरनिगराकारगण

श्री राजेन्द्र पटेरिया अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/1/16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 1597–एक/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़, सागर के प्रकरण क्रमांक 7/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2015 के विरूद्ध संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । ग्राम राहतगढ़ की संशोधन पंजी वर्ष 86–87 पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–5–87 द्वारा निगराकार क्रमांक 1, 4, 5, 6, 7 का नाम मृतक हस्सो बेवा शेख सद्दा के स्थान पर दर्ज करने का आदेश हुआ । इसके विरूद्ध गैर निगराकारगण ने अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष दिनांक 5–1–15 को अपील की, जहॉ आक्षेपित आदेश द्वारा विलंब माफ कियां गया । इसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दायर हुई ।

3/ मैने प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

निगराकार अधिवक्तागण ने तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब माफी का निर्णय लिया जाना सही नहीं है चूंकि गैर निगराकारगण पक्ष ने उनके समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया था कि 28–12–14 को वे किससे मिले थे और किससे उन्हें नामांतरण पंजी के आदेश की जानकारी मिली थी, और उन्होंने (अनुविभागीय अधिकारी ने) इस आदेश में यह भी स्पष्ट

नहीं किया कि निगराकार पक्ष द्वारा उत्तर में उठाए गए बिन्दुओं को उन्होंने विचार में लिया है या नहीं । उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंका वेंकटस्वरलु वि0 आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2011 भाग 3 एमपीएलजे पृष्ठ 135) का संदर्भ लेते हुए कहा कि बगैर समुचित कारण दर्शाए न्यायालय को विलंब माफी के संबंध में असीमित अधिकार नहीं हैं । निगराकार अधिवक्ता ने आगे कहा कि वाद भूमि शेखसद्दा की थी । शेख सद्दा की पुत्री चुनिया की मृत्यु 1978 में हो गई थी । 1980 में शेख सद्दा की मृत्यु होने के बाद, उनकी बेवा हस्सो के पक्ष में वाद भूमि का नामांतरण 30–5–83 को हुआ । दिनांक 23–3–87 को हस्सो ने निगराकारगण के पक्ष में वसीयत की, जिसके बाद 10–5–87 को हस्सो की मृत्यु हुई और 31–5–87 को नामांतरण पंजी पर निगराकारगण के पक्ष में नामांतरण हुआ, जिसमें गैर निगराकारगण ने कोई आपत्ती नहीं की । निगराकारगण का कब्जा वाद भूमि पर हस्सो के जीवनकाल से है जिस पर उन्होंने विभिन्न विक्रय निष्पादित किए है जिनके परिणामस्वरूप भूमि पर मकान, फैक्ट्री आदि बन चुके हैं । इन आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि वर्ष 1987 का संशोधन पंजी पर हुआ नामांतरण आदेश वैध नहीं है, अतः परिसीमा की बाधा मान्य नहीं होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि उभयपक्ष की पैतृक भूमि बड़ी होकर कुल 147.91 एकड़ की थी, जिसमें से शेख सद्दा का 1/4 यानि 36.98 एकड़ का हिस्सा था, जिसकी उन्होंने 12–10–77 को अपनी पुत्री चुनियां के पक्ष में वसीयत की थी । उन्होंने कहा कि चुनिया की मृत्यु 1978 में ना होकर 1988 में हुई थी । अतः शेख सद्दा की सम्पत्ती शेख सद्दा की मृत्यु उपरान्त चुनिया के पक्ष में जानी चाहिए थी, जिस कारणवश हस्सो का वसीयतनामा, हस्सो को वाद भूमि पर अधिकार नहीं होने के कारण, अवैध था । इन आधारों पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का विलंब माफी का आदेश, प्रकरण में गुण दोष पर परीक्षण किये जाने के लिये, यथावत रखे जाने का अनुरोध किया ।

प्रत्युत्तर में निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि शेख सद्दा की दिनांक 11–10–77 को चुनिया के हित में निष्पादित तथाकथित वसीयतनामे को विचार में नहीं लिया जा सकता

क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के अपील मेमो के पृष्ठ 3 पर गैर निगराकारगण ने उसका संदर्भ नहीं लिखा है और चुनियां के हित में शेख सद्दा की मृत्यु उपरान्त वारसाना नामांतरण हेतु लिखा है । उन्होंने यह कहा कि चुनिया की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई होने के कारण वैसे भी 11–10–77 का यह वसीयतनामा अप्रभावी होता है । आगे यह कहा कि चुनिया की मृत्यु 1988 में होने संबंधी कोई supporting documents गैर निगराकारगण ने नहीं दिए है । इन आधारों पर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया । तर्क के समय निगराकार पक्ष द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज दिए जाने का गैर निगराकार अधिवक्ता ने विरोध किया । किन्तु उन्होंने (गैर निगराकार अधिवक्ता ने) भी तर्क के समय चुनिया के 1988 के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, शेख सद्दा की 11–10–77 की वसीयत की प्रति तथा तहसील राहतगढ़ के दिनांक 23–8–14 के पत्र (जिसमें उन्होंने पंजीयक जन्म मृत्यु, न0 प0 राहतगढ़ को चुनिया की मृत्यु 21–2–88 को होने का लेख किया है) की प्रति साथ में प्रस्तुत की । प्रकरण के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सही प्रकार से समझ सकने के लिए, मैं इन सभी अभिलेखों को, पूर्व से उपलब्ध अभिलेखों के साथ विचार में ले रहा हूँ ।

4/ तर्कों पर विचार एवं अभिलेखों के अध्ययन क़े आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु विचारणीय पाता हूँ :–

(1) चुनिया बी की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई थी या वर्ष 1988 में, इस बिन्दु पर जॉच एवं परीक्षण कर विनिर्धारण आवश्यक है ।

(2) वर्ष 1977 के शेख सद्दा कथित वसीयतनामे को अनुविभागीय अधिकारी विचार मे ले सकते है या नहीं यह अनुविभागीय अधिकारी को विधि के अनुसार देखना होगा । किन्तु यदि चुनिया की मृत्यु 1978 में ना होकर 1988 में हुई होनी सिद्ध होती है तो, वसीयत आधारित नामांतरण या वारसाना नामांतरण के आधार पर चुनिया का नाम वाद भूमि पर पूर्ण या संयुक्त अंश रूप में लाने के बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्णय लेना होगा ।

(3) निगराकार पक्ष द्वारा अंतरित भूमियां शेख सद्दा के हिस्से वाली भूमियां ही हैं या अन्य, इसका परीक्षण भी अनुविभागीय अधिकारी को करना पंड़ सकता है ।

(4) उपरोक्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी को संशोधन पंजी आदेश दिनांक 31–5–87 की वैधता पर निर्णय लेना होगा ।

5/ उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार हेतु अनुविभागीय अधिकारी को उनके न्यायालयीन प्रकरण में विलंब माफ करना आवश्यक था जो उन्होंने अपने बोलते हुए आदेश से किया है ।

अतः अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 21–5–15 यथावत रखते हुए उन्हें (अनुविभागीय अधिकारी को) यह निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर लिखे जा चुके तथा पक्षकारों द्वारा उठाए जाने वाले सभी बिन्दुओं को विचार में लेकर एवं आवश्यक जॉच, परीक्षण, साक्ष्य आदि कर, प्रकरण में गुणदोष पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । निगरानी खारिज की जाती है ।

आदेश पारित ।

पक्षकार एवं अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ सूचित हों ।

अभिलेख वापस हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0 हो ।

7.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर